

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-59/2026

पंजीकरण तिथि:-11.05.2026

निर्णय की तिथि:-10.07.2026

मोहन सिंह बिष्ट पुत्र भुपाल सिंह बिष्ट,
पटलिया, कोटाबाग, रामनगर,
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
रामनगर।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- नवंबर माह में मेरे द्वारा एक विद्युत कनेक्शन लगाया गया था। जिसमें कि विभाग द्वारा एक पुराना विद्युत मीटर लगाया गया। नवंबर माह से मार्च माह तक का विद्युत बिल 58706 रूपया आया है। जबकि मेरा मकान एक कमरे का मकान है जो कि पूरा टिनसेट रूप से बना है। जिसकी फोटो साथ में सलग्न हैं। मेरे द्वारा चैक मापक भी लगाया गया जिसमें की दोनों मीटर की रीडिंग समान आयी। विभाग से मेरे द्वारा विद्युत मीटर की एमआरआई कराने हेतु अनुरोध किया गया। लेकिन विभाग का कहना है कि इस मीटर के MRI नहीं हो पा रही है। मुझे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा पूर्व में ज्यादा चला मीटर लगाया गया है।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर पूर्व में चैक मापक स्थापित किया गया था, मुख्य मापक एवं चैक मापक में कोई अन्तर नहीं पाया गया (मीटर हिस्ट्री सलग्न)। तपश्चात उक्त मापक की एम.आर.आई. भी करवाने के प्रयास किया गया किन्तु मापक की एम.आर.आई. नहीं हो सकी।







3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 04.06.2026 को कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मापक की एम0आर0आई0 करवाने का दो प्रयास किया गया किन्तु मापक की एम.आर.आई. हो ही नहीं पा रही है। अतः मा0 फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मंच द्वारा दिनांक 10.06.2026 सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। पक्षकार उपस्थित रहे। विपक्षी/विभाग का आदेशित किया गया कि परिवादी के मापक के **MRI** हेतु मापक को मीटर मेक कंपनी को भेज कर एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही मीटर स्थापना की सीलिंग (संयोजन अवमुक्त करते समय) भी मंच में प्रस्तुत करें। परिवादी को भी आदेशित किया जाता है कि रु0-5000/ विपक्षी के कार्यालय में 7 दिनों के भीतर जमा करायें। परिवादी यदि उक्त राशि जमा कर देता है तो विपक्षी परिवादी का संयोजन वाद के निस्तारण तक विच्छेदित नहीं करेगा। तथा आगामी बिल से **Current** रीडिंग/उपभोग का भुगतान लेना सुनिश्चित करें। विवादित धनराशि मंच के अंतिम निर्णय के अधीन समायोजित होगी।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 29.06.2026 को **MRI** रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मापक की एम0आर0आई0 मीटर मेक कम्पनी द्वारा कराई गयी। मीटर मेक कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी एम0आर0आई0 मा0 फोरम को प्रेषित की जा रही है।
6. दिनांक 10.7.2026 को मंच ने पुनः सुनवाई की नियत की गई। परिवादी सुनवाई में उपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखंड अधिकार के अनुरोध पर उनका पक्ष दूरभाष के माध्यम से सुना गया। विपक्षी द्वारा कहा गया कि मीटर की **MRI** रिपोर्ट से यह कहा जा सकता है कि मीटर में तकनीकी खराबी है क्योंकि मीटर में जब खपत सामान्य है तो अधिकतम मांग 61.612 कि0वा0 तथा 51.672 कि0वा0 दर्शित हो रही है। इसी प्रकार नवंबर 2025 एवं दिसंबर 2025 में खपत क्रमशः 4970 यूनिट तथा 2613 यूनिट आ रही है जबकि एम0डी क्रमशः 1.00 तथा 0.080 रिकॉर्ड हो रही है।
7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर पर जो खराब मापक संख्या U389922 स्थापित था उसे विपक्षी द्वारा दिनांक 22.06.2026 को बदला जा चुका है। हालांकि अभी परिवादी का बिल संशोधित किया जाना शेष है। मंच के मत में परिवादी का दिनांक 07.11.2025 से 22.06.2026 तक का बीजक नार्मेटिव आधार पर उचित टैरिफ दर से संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संयोजन अवमुक्त करने की तिथि दिनांक 07.11.2025 से 22.06.2026 तक का बीजक मासिक नार्मेटिव खपत पर उचित टैरिफ दर से संशोधित करें। 22.06.2026 के बाद का बीजक नए मीटर की वास्तविक खपत पर जारी होगा। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-10.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-10.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-66/2026

पंजीकरण तिथि-02.06.2026

निर्णय तिथि-08.07.2026

परिवादी

जानकी देवी
गायत्री नगर
दमुवाढूंगा, बन्दोबस्ती
काठगोदाम, हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 01.06.2026 में कहा गया है "I respectfully submit this complaint before the by an e - mail to upcl, regarding serious issues related to my electricity connection and the non-resolution of the matter by UPCL authorities. Consumer Details: Account No.: 40115309791 Connection No.: 3815315110648. The grievances are as follows:

1. The electricity bill issued for the period from 31 March 2026 to 30 April 2026 is almost double compared to the normal monthly average billing of previous years, despite there being no corresponding increase in electricity usage or sanctioned load. During part of this period, the house also remained vacant, and therefore such abnormal consumption appears unreasonable.
2. Earlier, consumers were able to monitor daily electricity consumption through the Smart Meter portal/application. However, this important feature has now become non-functional, depriving consumers of transparency and the ability to verify their day-to-day electricity usage.
3. A complaint/application was already submitted before UPCL authorities regarding the above issues. However, the response received from UPCL stated that the Smart Meter applications are third-party applications and UPCL does not deal with them. This reply is unsatisfactory because the smart meter system and consumer services ultimately operate under the authority, supervision, and







responsibility of UPCL. Earlier this feature was functioning properly, and no valid explanation has been provided regarding its discontinuation.

The non-availability of daily consumption data prevents consumers from identifying abnormal spikes, technical faults, or discrepancies in billing. This situation causes serious inconvenience and raises concerns regarding transparency and consumer rights.

In view of the above facts, I kindly request the Hon'ble Forum to pass necessary direction to UPCL authorities to verify the correctness of the disputed electricity bill and smart meter readings.

1. Order inspection/testing of the smart meter for any defect or abnormal recording.
2. Direct restoration of the daily consumption monitoring/history feature for consumers. Seek a detailed explanation from UPCL regarding the discontinuation of the monitoring facility and abnormal increase in billed units.
3. Provide appropriate relief to the consumer in accordance with applicable electricity consumer protection regulations.

I shall be grateful for your kind intervention and early resolution of the matter."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.06.2026 में कहा गया है कि वर्तमान में उपभोक्ता के परिसर पर माह 01/2026 से स्मार्ट मापक स्थापित है एवं उपभोक्ता के समस्त बीजक रीडिंग (M.U.) के आधार पर निर्मित है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 05.06.2026 में कहा गया है कि "Refer your reply on above subject it has been submitted that the summary of billing units consumed for the past bill months is submitted by the concerned department. But the complaint was regarding the daily consumption history which was earlier available in the electricity department web portal as well in UPCL app. So, the consumer was able to view his/her daily consumption. It is also submitted that there might be some fault while the new solar meter was installed by the Lineman on 26 March 2026. So, you are requested to the concerned authorities to carry out inspection of the installation of the solar meter. As the consumer has already submitted application as well as paid required fee for check meter installation."
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर पत्र दिनांकित 07.06.2026 में कहा गया है कि उपरोक्त वाद के संदर्भ में विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया। शिकायत के बिंदु संख्या-2, जो कि UPCL वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप में "Daily Consumption History Feature" के गैर-कार्यशील होने से संबंधित है, पर विभाग द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक एवं अपूर्ण है।

मेरी शिकायत विशेष रूप से "Daily Consumption History / दैनिक विद्युत उपभोग विवरण" से संबंधित थी, जबकि विभाग द्वारा केवल मासिक (Monthly) उपभोग विवरण उपलब्ध होने की बात कही गई है। मासिक उपभोग विवरण एवं दैनिक उपभोग विवरण दोनों अलग-अलग सुविधाएँ हैं।

पूर्व में उपभोक्ता पोर्टल/ऐप पर प्रतिदिन की विद्युत खपत (Daily Consumption History) देख सकते थे, जिससे उपभोक्ता अपने दैनिक उपयोग की निगरानी कर पाते थे। वर्तमान में यह फीचर गैर-कार्यशील है। विभाग ने मेरी मूल शिकायत का स्पष्ट







उत्तर नहीं दिया है कि दैनिक उपभोग इतिहास फीचर क्यों बंद है तथा इसे पुनः कब तक चालू किया जाएगा।

विभाग द्वारा यह कहना कि स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन तृतीय पक्ष (Third Party) एप्लीकेशन हैं, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त सुविधा UPCL उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवा का हिस्सा थी तथा इसकी कार्यशीलता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। दैनिक उपभोग इतिहास उपलब्ध न होने से उपभोक्ता अपने विद्युत उपयोग की प्रभावी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं तथा बिलिंग की पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है।

अतः निवेदन है कि माननीय मंच विपक्षी विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें कि—“Daily Consumption History Feature” के बंद होने का वास्तविक कारण स्पष्ट किया जाए। यह बताया जाए कि उक्त फीचर को पुनः कब तक कार्यशील किया जाएगा। उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति दैनिक विद्युत उपभोग विवरण उपलब्ध कराया जाए। यदि पोर्टल/ऐप तृतीय पक्ष द्वारा संचालित है, तब भी उपभोक्ता सेवा के लिए उत्तरदायी विभाग/अधिकारी का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए।

5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी/विभाग उपस्थित परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी/विभाग के तर्क सुने गये।

सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि विपक्षी उपभोक्ता की शिकायत के समाधान करने हेतु स्मार्ट मीटर विभाग को एक पत्र प्रेषित करे व परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिनांक 20.06.2026 तक आख्या मंच में प्रस्तुत करे।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण के सम्बन्ध में मैं अडानी एनर्जी सौल्यूशन लि०, पुराना डीजल पावर हाउस, नैनीताल रोड, हल्द्वानी को उपभोक्ता के मोबाईल ऐप में मासिक/दैनिक विद्युत खपत सम्बन्धी सूचना प्रकट न होने सम्बन्धी शिकायत का निराकर एवं इस सम्बन्ध में उपभोक्ता से सहयोग करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4341 दिनांक 11.06.2026 प्रेषित किया गया है। अतः उपभोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि कार्यदायी कम्पनी मै० अडानी एनर्जी सौल्यूशन लि० से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करने का कष्ट करें।

7. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांक 04.07.2026 में कहा गया है कि—With reference to the reply submitted by the respondent, it is respectfully submitted that the reply does not address the issues raised in my complaint. My grievance specifically relates to the disabling of the Daily Consumption History feature on the UPCL web portal/mobile application without any flash message on website. Instead of explaining why this feature was disabled, the respondent has merely referred to the availability of monthly consumption history, which was never the subject of my complaint. I had specifically sought restoration of the Daily Consumption History feature and an explanation for its discontinuation for so long time.

Before approaching this Hon'ble Forum, I had repeatedly submitted my grievance to the concerned UPCL Grievance Office requesting restoration of the Daily Consumption History feature and clarification regarding the abnormal increase in electricity consumption. However, no positive, satisfactory, or reasoned response was provided by the Grievance Office. Due to the failure of the departmental grievance

redressal mechanism to resolve the issue, I was compelled to approach this Hon'ble Forum.

Further, the respondent has also failed to explain why the electricity consumption units recorded during the billing period from 31 March 2026 to 30 April 2026 are unusually high despite there being no increase in the connected load or electricity usage pattern. The failure to provide the Daily Consumption History has deprived me of the opportunity to verify the day-wise consumption and ascertain the reasons for the abnormal increase in recorded units.

It is, therefore, prayed that the respondent be directed to:

Explain why the Daily Consumption History feature was disabled.

Restore the Daily Consumption History feature immediately.

Provide the complete day-wise consumption data for the period from 31 March 2026 to 30 April 2026.

Explain the reasons for the abnormally high electricity consumption recorded during the said period.

Explain why my repeated representations before the departmental Grievance Office were not effectively addressed and why no satisfactory relief was provided to me before I was compelled to approach this Hon'ble Forum.

8. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र/आख्या दिनांक 07.07.2026 में कहा गया है कि श्रीमती जानकी देवी, जानकी निवास, कृष्णा विहार, गायत्री नगर, दमुआदुंगा, काठगोदाम के परिसर पर स्मार्ट मापक स्थापित है, उपरान्त उनके मोबाईल में स्मार्ट मापक एप्लिकेशन में मासिक/दैनिक विद्युत खपत सम्बन्धी सूचना प्रकट न होने के सम्बन्ध में है।

अतः इस सम्बन्ध में उपभोक्ता के संयोजन की कंज्यूमर हिस्ट्री संलग्न है, जिसके अनुसार उपभोक्ता के समस्त बिल एम०यू० आधारित निर्मित है। उपभोक्ता के मोबाईल एप में दैनिक खपत सम्बन्धी एवं अन्य सूचनाएं प्राप्त होना सम्बन्धित मोबाईल एप का अपना फीचर है, जो कि मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, जो कि थर्ड पार्टी एप है एवं विभागीय स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता के शिकायत के अनुसार माह 04/2026 का दैनिक उपभोग खपत की सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

9. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपनी मूल शिकायत में मीटर रीडिंग को असामान्य बताकर मीटर का निरीक्षण/परीक्षण किए जाने की मांग की है तथा दैनिक खपत विवरण मोबाईल एप पर प्रदर्शित नहीं होने के संबंध में शिकायत की है, विपक्षी का कहना है कि उपभोक्ता के समस्त बीजक रीडिंग (MU) के आधार पर ही जारी हुए हैं। प्रमाण स्वरूप विस्तृत कंज्यूमर हिस्ट्री भी संलग्न की है।

मंच द्वारा उपभोक्ता कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को भेजे गये समस्त बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर उचित टैरिफ दर से जारी किये गये हैं। अतः इस संबंध में मंच से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि परिवादी को मीटर की शुद्धता के संबंध में कोई शंका है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ विपक्षी के कार्यालय में मीटर की शुद्धता जाँच हेतु आवेदन कर सकता है। जहाँ तक दैनिक खपत विवरण के मोबाईल एप पर प्रदर्शन का सवाल है तो यह मोबाईल फोन एवं संबंधित एप की किसी तकनीकी कमी के कारण हो सकता है। परिवादी







के परिसर पर विद्युत खपत हेतु विपक्षी ने विद्युत मीटर स्थापित किया हुआ है। परिवादी उक्त मीटर में प्रदर्शित अपनी खपत देख सकता है। परिवादी के मोबाईल फोन पर कोई एप नहीं चलने के संबंध में भी इस मंच से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-68/2026
पंजीकरण तिथि-09.06.2026
निर्णय तिथि-09.07.2026

परिवादी

जगदीश चन्द्र
पुलिस लाईन
नैनीताल
जिला-नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि उसका बिल 44,527.00 रु० आया है। प्रार्थी का बिल विगत वर्ष 29 अप्रैल 2025 से आतिथि तक नहीं आया था। मेरे द्वारा विद्युत कार्यालय शिकायत करने पर ज्ञात हुआ कि मेरा स्मार्ट मीटर लगवा दिया गया है और इसका बिल ऑनलाईन आयेगा। महोदय मेरा मीटर बिना मेरी इजाजत के एवं मुझे बिना किसी सूचना दिये बदल दिया गया है, जिसका मुझे अब पता चला है। न मुझे कोई रसीद प्रदान की गयी है न ही कोई पूर्व सूचना दी गयी। महोदय प्रार्थी का 10 मई 2025 तक सारे बिल जमा है। अब मेरे मोबाईल में ऑनलाईन बिल आया तो 44,490.00 रु० दर्शाया गया है, जबकि इससे पूर्व कोई बिल हेतु मैसेज नहीं आया है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का बिल संशोधित कर सही बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 15.06.2026 में कहा गया है कि:-
 - कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराना मापक दि० 16.11.2025 को बदल कर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है। उक्त नये मापक में (शून्य) 0 रीडिंग के आधार पर स्थापित किया गया है।
 - उपभोक्ता के पुराने मापक को 14970 की रीडिंग पर उतारा गया है। उपभोक्ता को दि० 30.04.2026 को विद्युत बिल निर्गत किया गया है।







3. उपभोक्ता को दिया गया बिल दि० 16.11.2025 की रीडिंग 14970 एवं दि० 14.04.2025 की रीडिंग 9347 ($14970-9347=5623$) के अन्तर का है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को नये मापक दि० 30.04.2026 की रीडिंग 1045 एवं (शून्य) 0 रीडिंग के अन्तर 1045 के योग ($1045+5623=6668$) के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किया गया है।
 4. उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता को नये एवं पुराने मापक का विद्युत बिल 381 दिनों का है जो कि सही है।
 5. उक्त प्रकरण में पुराने मापक की रीडिंग की सत्यता की जांच करने हेतु एम. आर०आई० एवं सिलिंग प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित फर्म (मै०अडानी ऐनर्जी सॉल्यूसन लि०) के सर्किल इन्चार्ज एवं सहायक अभियन्ता (मापक) भवाली को भी अवगत करा दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 18.06.2026 में कहा गया है कि शिकायत के बाद जवाब आया है कि मेरा मीटर 16.11.2025 को बदल दिया गया है जबकि मीटर बदलने के सम्बन्ध में न ही मुझे बताया गया और न ही मीटर बदलने की कोई रशीद मुझे दी गयी एवं मीटर बदलते समय मीटर की वर्तमान रीडिंग भी नहीं दिखायी गयी जो कि एक उपभोक्ता होने के मेरे अधिकार का हनन है।

- 1— जबकि मेरा दिनांक 14.04.2025 से पहले सभी बिल सही आता था। दिनांक 14.04.2025 की रीडिंग 9347 यूनिट थी दिनांक-16.11.2025 को मीटर बदला गयी इस बीच मई से नवम्बर महीने के बीच की रीडिंग 5623 यानि 803 यूनिट पर महीने का दिखाया गया है जबकि मेरे घर में विद्युत का इतना अधिक खपत नहीं है।
- 2— दिनांक-16.11.2025 से 30.04.2026 तक 1045 यूनिट दिखाया गया जो कि प्रति माह 209 यूनिट दिखाया गया है। जिस कारण प्रार्थी उक्त जवाब से संतुष्ट नहीं है।

अतः महोदय से निवेदन के की प्रार्थी की उपरोक्त समस्या का समाधान करने का कष्ट करें।

4. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। मंच ने बिल हिस्ट्री का अवलोकन कर पाया कि अप्रैल 2025 तक परिवादी के बीजकों में कोई विवाद नहीं है तथा परिवादी सभी बीजकों का भुगतान करता रहा है। अप्रैल 2025 के बाद विपक्षी ने परिवादी को लगभग 13 महीने बाद 06.05.2026 को एक बीजक जारी किया जो कि पुराना मापक बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद जारी किया गया। नया मीटर 16.11.2025 को स्थापित किया गया। इस प्रकार 14.04.2025 से 06.05.2026 के मध्य परिवादी को कुल 6688 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया, जिस पर परिवादी ने आपत्ति जताते हुए मंच में वाद दायर किया है। विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वह ना तो मीटर बदलने का सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सका और ना ही पुराने मीटर की MARI प्रस्तुत कर सका। 16 नवम्बर 2025 को दिखाई गयी मीटर रीडिंग 14970 को यह मंच स्वीकार नहीं कर सकता



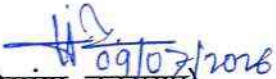


क्योंकि 14.04.2025 के पूर्व के बिलों में भी परिवादी की खपत 100 यूनिट प्रति माह से भी कम रही है। अतः 14.04.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि, 16.11.2025 तक का बीजक पूर्व के तीन बिलों के मासिक औसत $\{(94+63+56)/3=71$ यूनिट प्रतिमाह} आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित बीजक दिनांकित 06.05.2026 को निरस्त किया जाता है। इस बीजक के स्थान पर दिनांक 14.04.2025 से 16.11.2025 की अवधि के लिए 71 यूनिट प्रतिमाह की खपत के आधार पर संशोधित बीजक जारी किया जायेगा, दिनांक 16.11.2025 से वर्तमान तक के बीजक की गणना नए स्मार्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग पर की जायेगी। इस प्रकार संशोधित बीजक में कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026

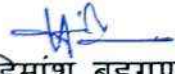

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case Number : 69/2026

Shri/Smt. श्रीमान गोस्वामी Vs Exeutive Engineer... मैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	08/07/2026	पत्रावली पेश हुई। निर्णय/आदेश सुनाया गया। <u>निर्णय/आदेश</u> परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि उनके विद्युत पोल में करंट आ रहा है जिसे ठीक करने की कृपा करें। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि अवर अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच कार्यालय को अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	निस्तारित

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-70 / 2026

पंजीकरण तिथि-11.06.2026

निर्णय तिथि-09.07.2026

परिवादी

पवन चंद

टाल इंचार्ज

ईधन डिपो मल्लीताल

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मल्लीताल में उत्तराखण्ड वन विकास निगम का डिपो स्थित हैं जिसमें प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक के नाम से विद्युत मीटर लगा हुआ है जिसकी खाता सं०-40113790026 हैं। पूर्व में डिपो में आने वाला बिल सामान्य रूप से आता था जिसका भुगतान समयानुसार किया जाता रहा है परन्तु स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात् विद्युत बिल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रु० 9463.00 (नौ हजार चार सौ तिरसठ) आया है जबकि डिपो में मात्र एक बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः महोदय से निवेदन है उपरोक्त बिल खाता सं० 40113790026 को संशोधित करने की कृपा करेंगे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल ठीक है जिसके पश्चात उपभोक्ता को टेलिफोन के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है।
3. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु परिवादी अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखण्ड अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।







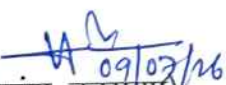
4. मंच द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश बिल चक्रों में शून्य खपत के बिल बने हैं जबकि स्मार्ट मीटर लगाते समय पुराने मीटर की रीडिंग एवं बिल में भरी गयी रीडिंग में भारी अन्तर पाया गया। (बिल में वास्तविक रीडिंग 1392 के स्थान पर 362 ही भरी गयी थी जिस कारण शेष 1030 यूनिट का बिल मई 2026 में विपक्षी ने परिवादी को भेजा। बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा बिल बनाते समय लंबे समय से वास्तविक रीडिंग नहीं भरी जा रही थी, हालांकि परिवादी की खपत बहुत न्यूनतम रही है।

अतः मंच के मत में परिवादी के पूर्व मीटर संख्या U453378 की स्थापना तिथि 06.07.2020 से इस मीटर के बदले जाने की तिथि 08.04.2026 तक की कुल खपत 1392 यूनिट को उक्त समयावधि के मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू उचित टैरिफ दरों पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर संख्या U453378 की कुल 1392 यूनिट को दिनांक 06.07.2020 से 08.04.2026 तक की अवधि हेतु औसत मासिक आधार पर विभाजित करें तथा उक्त अवधि में समय-समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार बिल राशि की गणना करें। दिनांक 08.04.2026 से वर्तमान तक का बीजक स्मार्ट मीटर की वास्तविक रीडिंग पर बनाया जाये। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई अविलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-71/2026

पंजीकरण तिथि:-11.06.2026

निर्णय की तिथि:-09.07.2026

नजाकत,

सूखाताल जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-मेरा विद्युत बिल गलत बना हुआ है जो अत्यधिक है। अतः महोदय से निवेदन है कि विद्युत बिल ठीक करवाने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल सही है। उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करा दिया गया है।
3. वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखंड अधिकारी स्वयं उपस्थित थे। विपक्षी ने परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग पर (MU के आधार पर) उचित टैरिफ दर पर जारी हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि प्रत्येक बिल चक्र में MU आधारित बिल बने हैं, जिनमें संशोधन किये जाने का आदेश पारित करने का अधिकार मंच को नहीं है। अतः वाद खारिज की जाने योग्य है।







आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

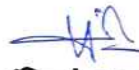
दिनांक:- 09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-72/2026

पंजीकरण तिथि:-11.06.2026

निर्णय की तिथि:-28.07.2026

ललित बिष्ट,

2/17,टाईप -2,

ओक पार्क, मल्लीताल,

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में राजकीय सेवा में नियुक्त/कार्यरत है, जिसके सापेक्ष में प्रार्थी राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत मल्लीताल, नैनीताल, ओक पार्क स्थित राजकीय आवास में निवास कर रहा है। उक्त संबंध में यह संज्ञान में लाना है कि, प्रार्थी के आवास में पूर्व में संयोजित विद्युत मीटर के स्थान पर आपके विद्युत विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के नया स्मार्ट मीटर संयोजित कर दिया गया है। जबकि, प्रार्थी के आवास में पूर्व में संयोजित इलैक्ट्रॉनिक मीटर सुचारु रूप से कार्य कर रहा था, इस मीटर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही थी और नियमित रूप से विद्युत बिल भी प्राप्त हो रहा था। उक्त के संबंध में सूचित कराना है कि, माह अप्रैल, 2026 में प्रार्थी के राजकीय आवास में स्मार्ट मीटर संयोजित कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष में वर्तमान तक प्रार्थी का विद्युत बिल ना ही भौतिक रूप से प्राप्त हुआ है एवं ना ही रजिस्टर्ड मोबाईल/एप में प्राप्त हुआ है। जिस कारण प्रार्थी का विद्युत बिल जमा नहीं हो पा रहा है। जबकि, पूर्व में पुराने मीटर द्वारा नियमित रूप से विद्युत बिल प्राप्त हो रहा था, प्रार्थी का बिल प्राप्त ना होने की दशा में विद्युत विभाग

द्वारा विगत माहों के एक साथ बिल प्रेषित/जनरेट किये जाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ की दशा में प्रार्थी द्वारा एकमुश्त बिल की धनराशि जमा किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि, प्रार्थी के राजकीय आवास में संयोजित स्मार्ट मीटर को बदलकर पुनः उसका पुराना इलैक्ट्रॉनिक मीटर संयोजित करें या स्मार्ट मीटर संयोजित/एक्टिव होने की दिनांक से प्रार्थी का विद्युत बिल यथाशीघ्र उपलब्ध/जनरेट करने का कष्ट करें। जिससे कि, प्रार्थी द्वारा बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सुचारु रूप से अपना विद्युत बिल का भुगतान किया जा सके।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:- उपभोक्ता का बिल बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ता को बिल दे दिया गया है तथा उपभोक्ता को टेलिफोनिक माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 04.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि- "मेरे नैनीताल स्थित सरकारी आवास में लगाए गए स्मार्ट मीटर में बिल नहीं जनरेट होने के संबंध में मेरे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद एक बिल जनरेट हो चुका है। आप मेरी कम्प्लेंट को क्लोज कर सकते हैं। धन्यवाद।"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की विद्युत बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-73/2026

पंजीकरण तिथि:-11.06.2026

निर्णय की तिथि:- 20.07.2026

दीपक सिंह बिष्ट,
ग्राम व पो०-सौड,
जिला-नैनीताल।

परिवादी

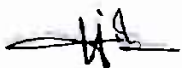
बनाम

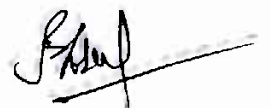
अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- प्रार्थी को बिल रीडर द्वारा आई०डी०एफ० में दिखाया जा रहा है। जिसमें इस समस्या को ठीक करने के लिए पूर्व में दिनांक 28.03.2026 को विभाग को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसका समाधान आज तिथि तक नहीं हो पाया। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को आई०डी०एफ० से हटकर वर्तमान रीडिंग के अनुसार बिल देने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के आवास के मापक की रीडिंग मंगाई गई है जो कि प्राप्त होते ही बिल संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। बिल संशोधन होते ही मा० मंच को अवगत करा दिया जायेगा।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 17.07.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में CCBR संशोधन रु 363.00 कर दिया गया है।
4. परिवादी द्वारा दिनांकित 17.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि-
“मेरी बिल संबंधी शिकायत का समाधान हो गया है, मेरा मुकदमा समाप्त (बंद) कर दिया जाए।”





5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की विलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

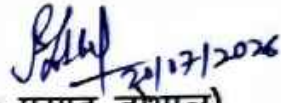
दिनांक:- 20.07.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 20.07.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-74/2026
पंजीकरण तिथि-11.06.2026
निर्णय तिथि-23.07.2026

विनोद चेतन
हाई कोर्ट कैम्पस
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

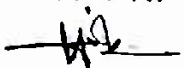
विपक्षी

निर्णय

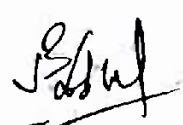
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि उसका बिल ज्यादा आ रहा है। बिल कम करने की कृपा करे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का बिल ठीक है तथा दिनांक 20.04.2026 को पुराने मापक को बदलकर स्मार्ट मापक बदलते समय पुराने मापक में 5399 रीडिंग शेष थी तथा नये स्मार्ट मापक की रीडिंग 04 है इस प्रकार कुल 5403 रीडिंग का बिल निर्गत हुआ है जो की उपभोग के अनुसार ठीक है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु विपक्षी उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के पुराने मापक संख्या-EM7453 की MRI रिपोर्ट दिनांक 20.07.2026 तक मंच में प्रस्तुत करे।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा पूर्व सुनवाई के आदेश के क्रम में परिवादी के पुराने मापक संख्या-EM7453 की MRI रिपोर्ट दिनांक 18.07.2026 को मंच में प्रस्तुत की गयी।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी उपखण्ड अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित हुये, परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। मंच ने परिवादी के मापक





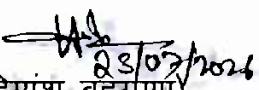


की MRI रिपोर्ट एवं बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि मीटर रीडर द्वारा अप्रैल 2026 से पूर्व प्रत्येक बिल चक्र में मनमाने ढंग से मीटर रीडिंग मरी जा रही थी। उसने परिवादी को वास्तविक रीडिंग के बिल नहीं दिये, जिस कारण अप्रैल 2026 में मीटर बदलते समय पुराने मापक की वास्तविक रीडिंग 13675 सीलिंग में दर्ज की गयी। मीटर रीडर की इस लापरवाही से जून 2026 के बिल में परिवादी को मीटर रीडर द्वारा रोक़ी रीडिंग का एकमुश्त बिल भेजा गया। मंच के मत में परिवादी को एकमुश्त बिल देने से उच्चतम टैरिफ स्लैब पर बिलिंग हुई जिसका भार परिवादी पर पड़ा। मंच के मत में परिवादी के पुराने मापक संख्या-EM7453 की स्थापना दिनांक 13.11.2013 से मीटर बदले जाने की तिथि 20.04.2026 तक की संपूर्ण खपत (13675 यूनिटों) को उपरोक्त अवधि में मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू उचित टैरिफ दर से संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। विपक्षी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि मीटर रीडर की इस लापरवाही के लिए उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

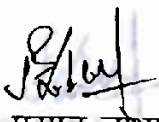
आदेश

परिवादीका वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर संख्या-EM7453 की दिनांक 13.11.2013 से 20.04.2026 तक की कुल खपत 13675 यूनिट को मासिक औसत आधार पर विभाजित करे तथा समय-समय पर लागू टैरिफ दरों के आधार पर बीजक बनाये, जिस पर कोई विलम्ब अधिभार देय नहीं होगा। उपरोक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा करायी गयी समस्त धनराशि को भी संशोधित बीजक में समायोजित किया जायेगा। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ़तर हो।

दिनांक:-23/07/2026

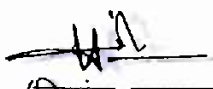

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

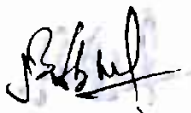

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-23/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

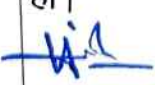
रिवाज 4

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case Number : 75/2026

Shri/Smt. कमला तिवारी Vs Exeutive Engineer... न.नीलाल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	08/07/2026	पत्रावली पेश हुई। निर्णय/आदेश सुनाया गया। <u>निर्णय/आदेश</u> परिवादी द्वारा अपने शिकायत में कहा गया है कि उसके विद्युत संयोजन संख्या-597E233080338 के लिए पिछले तीन माह से बिना मीटर रीडिंग के ही विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं। माह मई 2026 का भी बिल बिना मीटर रीडिंग के ही प्राप्त हो गया है। कृपया सुनिश्चित करने की कृपा करें कि नया पुनरीक्षित बिल मीटर रीडिंग के पश्चात ही भेजने की व्यवस्था करें। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर बिल बनाकर प्रेषित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से भी विद्युत बिल दे दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच कार्यालय को अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।    सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (उत्प्रेषक) सदस्य (विभाग) वि०उ०शि०नि०म० वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	निस्तारित

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case Number : 76/2026

Shri/Smt. ब्रह्म सिंह Vs Exeutive Engineer नेमी तल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	08/07/2026	पत्रावली पेश हुई। निर्णय/आदेश सुनाया गया। <u>निर्णय/आदेश</u> परिवादी द्वारा अपने शिकायत में कहा गया है मेरे बिल में जोड़े गये फिक्स चार्ज को माफ करने की कृपा करें। तथा कृपया में 2 KW का लोड 1KW किलोवाट में कर दिया जाए। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता को 2 किलोवाट भार स्वीकृत है तथा 2 किलोवाट के अनुसार लगा फिक्स चार्ज ठीक है तथा उपभोक्ता को टेलीफोन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है तथा पत्र संख्या- 480 दिनांक 02.07.2026 के द्वारा विद्युत भार घटाने का फॉर्म संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच कार्यालय को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	<u>निस्तारित</u>

सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (आवेक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वी ०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी वि०उ०शि०ज०न०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-77/2026
पंजीकरण तिथि-11.06.2026
निर्णय तिथि-09.07.2026

हरेश नाथ

परिवादी

आवास संख्या-5

टाईप-2, न्यू कॉलोनी

ओक पार्क, मल्लीताल

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल में राजकीय सेवा में नियुक्त/कार्यरत है, जिसके सापेक्ष में प्रार्थी राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत मल्लीताल, नैनीताल, ओक पार्क स्थित राजकीय आवास में निवास कर रहा है। उक्त संबंध में यह संज्ञान में लाना है कि, प्रार्थी के आवास में पूर्व में संयोजित विद्युत मीटर के स्थान पर आपके विद्युत विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के नया स्मार्ट मीटर संयोजित कर दिया गया है। जबकि, प्रार्थी के आवास में पूर्व में संयोजित इलैक्ट्रॉनिक मीटर सुचारू रूप से कार्य कर रहा था, इस मीटर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही थी और नियमित रूप से विद्युत बिल भी प्राप्त हो रहा था।

उक्त के संबंध में सूचित कराना है कि, माह अप्रैल, 2026 में प्रार्थी के राजकीय आवास में स्मार्ट मीटर संयोजित कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष में वर्तमान तक प्रार्थी का विद्युत बिल ना ही भौतिक रूप से प्राप्त हुआ है एवं ना ही रजिस्टर्ड मोबाईल/एप में प्राप्त हुआ है, जिस कारण प्रार्थी का विद्युत बिल जमा नहीं हो पा रहा है। जबकि, पूर्व में पुराने मीटर द्वारा नियमित रूप से विद्युत बिल प्राप्त हो रहा था, प्रार्थी का बिल प्राप्त ना होने की दशा में विद्युत विभाग द्वारा विगत माहों के एक साथ बिल प्रेषित/जनरेट







किये जाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ की दशा में प्रार्थी द्वारा एकमुश्त बिल की धनराशि जमा किया जाना सम्भव नहीं होगा।

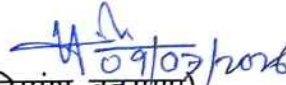
अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि, प्रार्थी के राजकीय आवास में संयोजित स्मार्ट मीटर को बदलकर पुनः उसका पुराना इलैक्ट्रॉनिक मीटर संयोजित करें या स्मार्ट मीटर संयोजित/एक्टिव होने की दिनांक से प्रार्थी का विद्युत बिल यथाशीघ्र उपलब्ध/जनरेट करने का कष्ट करें। जिससे कि, प्रार्थी द्वारा बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सुचारु रूप से अपना विद्युत बिल का भुगतान किया जा सके।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल बनाकर वहट्सैप के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को टेलिफोन के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है।।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 09.07.2026 में कहा गया है कि मुझे विद्युत बिल प्राप्त हो गया है मेरे द्वारा विद्युत बिलका भुगतान कर दिया गया ह मैं विद्युत विभाग से संतुष्ट हूँ।
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026

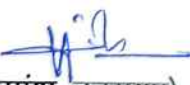

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case Number : 78/2026

Shri/Smt. भास्कर झा Vs Exeutive Engineer बैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	08/07/2026	पत्रावली पेश हुई। निर्णय/आदेश सुनाया गया। <u>निर्णय/आदेश</u> परिवादी द्वारा अपने शिकायत में कहा गया है कि 03 माह से हमारा बिजली का बिल नहीं आ रहा है कृपया बताने की कृपा करें। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को टेलिफोन के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से मंच कार्यालय को अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी  सदस्य (विभाग) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	निस्तारित

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-79/2026
पंजीकरण तिथि-11.06.2026
निर्णय तिथि-09.07.2026

नजमा
 अब्दुल मजिद
 ओकूट, नैनीताल
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा बिल कुछ महीने से अधिक आ रहा है। जिसे संशोधन करने की कृपा करें। व मेरे, मीटर में गीता देवी नाम से दिख जबकि मेरा नाम नजमा है। रहा है, जबकि जिसे संशोधन करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता, श्रीमती गीता देवी, संयोजन संख्या 591E263076331 एवं श्रीमती नजमा, संयोजन संख्या 591A337076782एके मापकों के नंबर अवर अभियन्ता की स्थलीय आख्या के आधार पर संशोधित कर दिये गये है तथा उपभोक्ता का बिल मापक की रीडिंग के आधार पर ठीक है।
3. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा उपभोक्ता की नाम संशोधन हेतु की गई शिकायत को विभाग द्वारा नाम संशोधित कर दूर कर दिया गया है। उपभोक्ता के बिल मापक की रीडिंग के आधार पर ठीक है। यदि उपभोक्ता को मीटर रीडिंग पर कोई शंका है तो वह चैक मापक हेतु संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकता है।



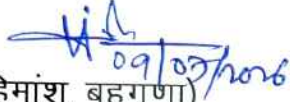




आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

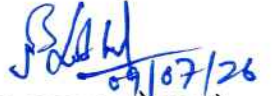

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-80/2026
 पंजीकरण तिथि-11.06.2026
 निर्णय तिथि-09.07.2026

मो० नईम
 पॉपुलर कम्पाउण्ड
 मल्लीताल
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

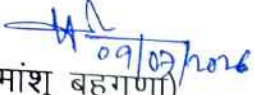
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के बिल कुछ महीने से अधिक आ रहे हैं। जिसे संशोधन करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का बिल ठीक है तथा उपभोक्ता को टेलीफोन के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है।
3. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु परिवादी अनुपस्थित रहे, जबकि विपक्षी उपखण्ड अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में MU आधारित सामान्य खपत के बीजक भेजे गये हैं। वास्तविक सामान्य खपत के बिलों में संशोधन का आदेश पारित किये जाने का अधिकार इस मंच को नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर

विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-81/2026
पंजीकरण तिथि-11.06.2026
निर्णय तिथि-22.07.2026

अमिताभ साह
 निवासी एशडेल स्कूल के पीछे
 सूखाताल
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

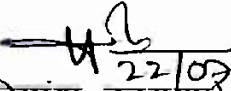
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं अमिताभ साह निवासी सूखाताल (एशडेल स्कूल के पीछे) रहता हूँ। महोदय मेरे भवन के पीछे बिजली का पोल झुका हुआ है। जो कभी भी मेरे घर की तरफ गिर सकता है। एवं जान, धन की हानि हो सकती है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बिजली पोल को सीधा करवाने या बदली करने का कष्ट करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि पोल स्थानांतरण करने हेतु भूमि उपलब्ध ना होने के कारण कार्य लंबित है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत के निवारण हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी। जिसे स्वीकृत करते हुये मंच द्वारा अग्रिम तिथि दिनांक 17.07.2026 की नियत की गयीं
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 17.07.2026 में में कहा गया है कि उपभोक्ता के टेढ़े विद्युत पोल को सीधा कर दिया गया, जिसके उपरान्त पोल को वैलडिंग की सहायता से भी सही किया गया है। पोल को स्थिर रखने के लिये सीमेंट से पक्का किया जाना है परन्तु वर्षा के कारण विलम्ब हो रही है। जो अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. मंच कार्यालय द्वारा, दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क करने पर परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि विपक्षी/विभाग द्वारा उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। अतः उसके वाद की कार्यवाही समाप्त की जाये।
6. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से की गयी है। अतः वाद की कार्यवाही आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-22/07/2026

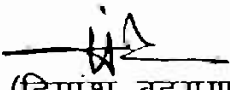

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-22/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-83 / 2026
पंजीकरण तिथि-15.06.2026
निर्णय तिथि-10.07.2026

परिवादी

धन सिंह
पुत्र चन्दन सिंह
ग्राम-नाईसेला
पो०ओ०-बेल
जिला-नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा विद्युत कनेक्शन न. 392KJ02002219 के मीटर का बिल अधिक आने की वजह से मैं आपके सनमुख एक शिकायत दर्ज कर रहा हूँ महोदय जी मेरे मीटर में RDF लगा हुआ था तब भी मैंने बिजली का बिल लगातार जमा किया था उसके बाद मेरे मीटर का RDF सही क्या गया तो मेरे द्वारा अधिक बिल जमा किया गया जिसके बाद मेरा बिल करीब 4700 माईनस आ गया उसके बाद मेरा बिल माईनस होने के बाद भी मई 2026 मेरा बिल रु० 5067 का आ गया जिसको मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है जो मेरे हिसाब से जमा नहीं करना था मैं बिजली ऑफिस भी गया लेकिन मेरी बात वहां पर नहीं सुनी गयी। महोदय जी आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे बिजली बिल में सुधार करवाने कि अति कृपया कीजियेगा।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 25.06.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के अनुसार ही बना है। मंच से निवेदन है की मीटर की जाँच हेतु MRI करने के लिये एक सप्ताह का समय देने की कृपा करेंगे।
3. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी/विभाग

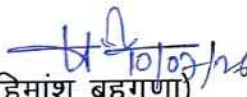
के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट व कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गयी। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट व कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गयी। मंच ने MRI रिपोर्ट व कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया। परिवादी को दिये गये RDF के बीजों का समायोजन MU पर बिल जारी कर पूर्व में ही दिया जा चुका है, जिससे परिवादी का बीजक 24.02.2025 से ऋणात्मक हुआ है। यह राशि आगामी बीजकों में समायोजित हो चुकी है। फरवरी 2025 से परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी हो रहे हैं, जो सही हैं। अतः इस प्रकार वास्तविक रीडिंग के बिलों को मंच द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-10/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-10/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-84 / 2026

पंजीकरण तिथि:-16.06.2026

निर्णय की तिथि:-23.07.2026

सावित्री नेगी,
ठाकुर निवास, शिव विहार।।,
आर०के० टेंट हाउस रोड,
कुसुमखेडा, हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल।

परिवादी

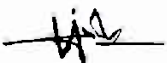
बनाम

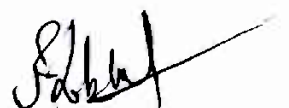
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- I would like to raise a complaint regarding an unusually high electricity bill issued for the month of May. My monthly bill is normally around ₹600-₹700, but the latest bill is approximately ₹2900, which is far beyond my usual consumption pattern. I have also observed that the meter reading has increased from 17,955 units in the previous bill to 20,626 units currently, indicating consumption of 2,671 units within just 10-15 days. This appears highly abnormal and does not reflect the actual usage at my premises. I request you to urgently investigate the meter reading, billing calculation, and meter functionality, and issue a corrected bill along with fixing my meter. I am facing challenges while registering the complaint through the online portal.
2. मंच द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2026 की तिथि नियत थी। सुनवाई हेतु विपक्षी/विभाग मंच में उपस्थित हुए। परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के मीटर की MRI रिपोर्ट एवं बीजक व भुगतान का परीक्षण कर विस्तृत आख्या 17.07.2026 तक मंच में प्रस्तुत करें।
3. दिनांक 17.07.2026 को विपक्षी ने आख्या प्रस्तुत कर कहा कि श्रीमती सावित्री नेगी, ठाकुर निवास, शिव विहार 11, आर०के० टेंट हाउस रोड, कुसुमखेडा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, "बिलिंग/मीटरिंग" से सम्बंधित शिकायत के सम्बन्ध में मंच के समक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता के मीटर की MRI कर दी गयी हैं





- जिसके अनुसार उपभोक्ता का बिल सही बना है। विपक्षी की आख्या की प्रति परिवादी को भेजी गई तथा पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मंच में 23.07.2026 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गई।
4. दिनांक 23.07.2026 को परिवादी पुनः सुनवाई में अनुपस्थित रहे। विपक्षी/विभाग से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा परिवादी के मीटर की MRI रिपोर्ट एवं कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गई तथा कहा गया कि परिवादी ने जून 2026 के बिल में आयी खपत 825 यूनिट पर आपत्ति की थी अतः दिनांक 17.06.2026 को परिवादी का बीजक जनवरी 2026 से जून 2026 तक की खपत को औसत आधार पर बाटते हुए उचित टैरिफ दर पर संशोधित किया गया जिसका लाभ उपभोक्ता को मिला है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। कंज्यूमर हिस्ट्री एवं MRI रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के बीजक मीटर की रीडिंग के आधार पर ही बनाए गए हैं। साथ ही जून 2026 के बीजक में दर्शित खपत को पूर्व के छः माह में विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैब का लाभ भी प्रदान किया गया है। मंच के मत में परिवादी को यदि अपना मीटर तेज चलने की आशंका है तो वह मीटर की शुद्धता जांचने के लिए विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की जांच करा सकते हैं।

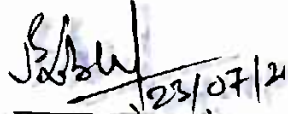
आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी यदि बैंक मापक हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करता है तो उसके मीटर की शुद्धता जांच की जाये। शुद्धता जांच में यदि कोई विचलन पाया जाता है तो उचित समायोजन के साथ ही बैंक मापक का शुल्क परिवादी को आगामी बीजक में वापस किया जाये। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

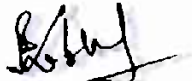

(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-86 / 2026
पंजीकरण तिथि-24.06.2026
निर्णय तिथि-08.07.2026

लता नैनवाल
पत्नी मोहित सिंह नैनवाल
राजा रानी विहार, छड़ायल
नियर बिड़ला स्कूल, हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
कमलवागांजा, हलद्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं लता नैनवाल, निवाली राजा रानी विहार, छड़ायल, नियर बिड़ला स्कूल, उपभोक्ता संख्या-42400074059 है। तथा मेरे आवास पर 4 KW का स्वीकृत विद्युत कनेक्शन स्थापित है। पिछले काफी समय से मेरे घर पर अत्यंत कम वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है। दिन के समय विद्युत वोल्टेज लगभग 170 से 180 वोल्ट और रात्रि में 185 से 145 वोल्ट तक रह जाता है। इस कारण पंखे, फ्रिज, पानी की मोटर एवं अन्य घरेलू विद्युत उपकरण सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कम वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरणों के खराब होने की थी आशंका बनी रहती है, जिसने आर्थिक हानि होने की संभावना है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे, ताकि मेरे आवास पर निर्धारित मानकों के अनुसार विद्युत् वोल्टेज उपलब्ध कराया जा सके, तथा मुझे इस समस्या से राहत मिल सके। इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी।

- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्रीमती, लता नैनवाल, पत्नी, श्री, मोहित सिंह नैनवाल, राजा रानी विहार, छड़ायल नियर बिड़ला स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल, द्वारा लो वोल्टेज सम्बन्धी शिकायत दर्ज







करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उपभोक्ता की सर्विस लाइन में भार को संतुलित (बैलेंस) कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 07.07.2026 में कहा गया है कि हमारे द्वारा निम्न वोल्टेज की समस्या के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत का यूपीसीएल द्वारा सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे परिसर में विद्युत वोल्टेज 220 वोल्ट से अधिक प्राप्त हो रही है तथा समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे द्वारा दर्ज कराई गई उक्त शिकायत को बंद (क्लोज) करने की कृपा करें।
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-88/2026
पंजीकरण तिथि-29.06.2026
निर्णय तिथि-09.07.2026

परिवादी

तब्बसुम हासन
नया बाजार, माहवीरगंज
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "Sir, with reference to above context it is to bring to your kind notice that my domestic consumer No. 41700782075 is being issued RDF bills from several years while as per the UE Regulatory Commission rules, no bill should be issued RDF after 2 billing cycles whereas in my case it is being repeatedly issued from long time. I am paying regular bills amount as per SMS received from UPCL-online. When I complained of regular RDF bills the Jurisdictional JE installed Smart Meter by replacing defective meter (RDF) on 31.05.2026. Smart Meter Installation Receipt dated 31.05.2026 is enclosed for kind perusal. I suddenly received SMS from UPCL on 23.06.2026 at 1:35 "ple pay electricity bill of 187650/- before 5/2026" which apparently shocked me being unfair, arbitrary, & in gross violation of UERC Commission rules. which kindly be redressed giving me full relief."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर उपभोक्ता माह 09/2021 से माह 04/2026 तक बीजक RDF आधार पर निर्मित हैं, जिनमें मापक की रीडिंग 30295 हैं एवं माह 05/2026 का बीजक जो कि M-U आधार पर निर्मित हैं, जिसमें मापक की अन्तिम रीडिंग 54543 है अतएव अंतर यूनिट (54543-30295=24248 Units) का बिल निर्मित है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं माह 05/2026 बिलिंग के समय का मापक पाठ्यांक की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
- मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये







तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि उसे सितम्बर 2021 से अप्रैल 2026 तक प्रत्येक बिल चक्र में RDF के बिल भेजे गये हैं, जिनका वह समय-समय पर भुगतान भी करता रहा है। मई माह में विपक्षी ने परिवादी के मापक की रीडिंग करायी तो वास्तविक रीडिंग से बिल बनाया गया जो कि एकमुश्त 2424 यूनिट खपत का बना, जिस पर परिवादी ने आपत्ति दर्ज की है। लम्बे समय से RDF आधार पर बिल जारी किये जाने के लिये परिवादी का कोई दोष नहीं है। यह विपक्षी की लापरवाही के कारण हुआ है। सुनवाई के समय विपक्षी ने सितम्बर 2021 से अप्रैल 2026 तक की RDF अवधि के बीजक का संशोधित ड्राफ्ट मंच में प्रस्तुत किया, जिसे मंच ने खारिज कर दिया। इस मंच का मत है कि परिवादी के मीटर संख्या-G134378 की स्थापना की तिथि 07.07.2018 से वर्तमान तक की संपूर्ण खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू उचित टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित बीजक जारी किया जाना न्यायोचित होगा। परिवादी ने मंच से किशतों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

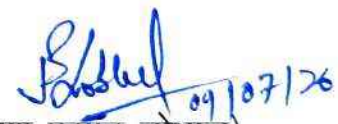
आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर संख्या-G134378 की स्थापना तिथि 07.07.2018 से वर्तमान तक की अवधि की कुल विद्युत खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर जारी टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। परिवादी के किशतों में भुगतान के अनुरोध को स्वीकार करते हुये विपक्षीको निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बीजक भुगतान के लिये परिवादी को विभागीय नियमानुसार किशतों में भुगतान की सुविधा प्रदान करे। विपक्षी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

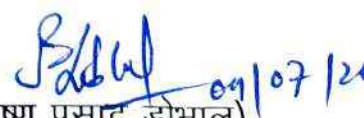

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-91/2026

पंजीकरण तिथि:-02.07.2026

निर्णय की तिथि:-24.07.2026

संजय बिष्ट,

शिवपुरम कल्याण समिति,

शिवपुरम कालौनी, हिम्मतपुर तल्ला,

पो०ओ०-हरिपुरनायक हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

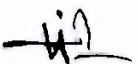
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

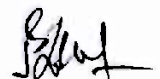
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि हम शिवपुरम कल्याण समिति, शिवपुरम कालौनी हिम्मतपुर तल्ला, पो०ओ०-हरिपुरनायक, हल्द्वानी जिला-नैनीताल के निवासी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारी कॉलोनी में कई वर्षों से चली आ रही अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं हमारी कॉलोनी में अत्यधिक कम वोल्टेज की समस्या रहती है। गर्मियों के मौसम में भी हमारी कॉलोनी में वोल्टेज बहुत कम आती है जिस कारण ना हम पंखों का उसे प्रयोग कर पाते हैं ना कूलर का वोल्टेज इतनी कम होती की पंख तक सही से नहीं चलते कूलर ए०सी० या फ्रिज का उपयोग असंभव सा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है की समस्या केवल हमारी ही कॉलोनी में है आसपास की सभी कॉलोनी में पूर्ण वोल्टेज उपलब्ध रहती है। हम सभी नियमित रूप से बिजली का बिल भुगतान करते हैं और विद्युत विभाग के जिम्मेदार व पुराने उपभोक्ता होने के नाते यह हमारा अधिकार है कि हमें उचित विद्युत आपूर्ति मिले। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इस संबंध में हम पूर्व में भी कई बार विद्युत विभाग कमलुवागांजा में मौखिक व लिखित रूप से



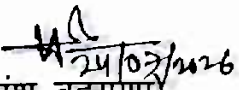


- अपनी समस्या दे चुके हैं। परंतु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वोल्टेज की समस्या अभी तक जैसी की तैसी बनी हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी उक्त समस्या का निराकरण करने की कृपा करें हम सभी कॉलोनीवासी वह क्षेत्रवासी आपके सदा आभारी रहेंगे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री संजय विष्ट, शिवपुरम कल्याण याण समिति, शिवपुरम कॉलोनी, हिम्मतपुर तल्ला, पो०ओ०-हरिपुरनायक, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, "लो वोल्टेज" से सम्बंधित शिकायत के सम्बन्ध में मंच को अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता के क्षेत्र का सम्बंधित अवर अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर विद्युत आपूर्ति को दूसरे 100KV। पश्चिर्तक से जोड़ कर विद्युत वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है।
 3. परिवादी द्वारा दिनांकित 24.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि—
“महोदय जो कॉलोनी में लो वोल्टेज की समस्या हो रही थी उसका समाधान हो चुका है धन्यवाद”
 4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की “लो वोल्टेज” से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

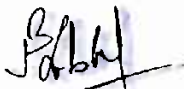
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

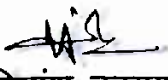
दिनांक:-24.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-24.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-93/2026

पंजीकरण तिथि:-04.07.2026

निर्णय की तिथि:- 20.07.2026

इंदर सिंह राणा,
पता:-श्याम गार्डन कॉलोनी,
बड़ी मुखानी पीलीकोठी हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- "I am a senior citizen and a consumer of UPCL bearing Consumer Number 40111044335 My electricity meter became defective, and I lodged my first complaint on 12 March 2026. Thereafter, I submitted several complaints and received complaint registration numbers(21203260843). However, despite the passage of several months, no action has been taken by the concerned officials. The defective meter has neither been inspected nor replaced, and no satisfactory response has been provided. As I am a senior citizen, I am unable to visit the electricity office . I have already made every possible effort by registering complaints, but the matter remains unresolved. I therefore request your good office to kindly direct the concerned officials to replace the defective electricity meter immediately, arrange a home visit for inspection, and ensure that my grievance is resolved without any further delay. I shall be grateful for your prompt intervention."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता मापक विद्युत परीक्षण खण्ड हल्द्वानी को प्रेषित पत्र की प्रति मंच में सूचनार्थ भेजी गई, उपभोक्ता श्री इंदर सिंह राणा द्वारा माननीय मंच के समक्ष मीटर खराब

होने की शिकायत की गयी है, इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी की गयी थी (21203260843) परन्तु उक्त शिकायत आज दिनांक तक अवर अभियंता (मीटर) के पास लंबित है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण कर मीटर बदलने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 15.07.2026 को अपनी आख्या में कहा गया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष श्री इंदर सिंह राणा की "मीटरिंग" से सम्बंधित शिकायत के सम्बन्ध में मंच के समक्ष अवगत कराना है कि उपभोक्ता का मीटर बदल दिया गया है।
4. परिवादी द्वारा दिनांकित 18.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि—
“ My meter has been changed . thanks for your cooperation.”
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की मीटरिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जा रहा है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 20.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

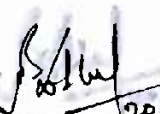

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 20.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-94 / 2026
पंजीकरण तिथि-06.07.2026
निर्णय तिथि-10.07.2026

उमेश चन्द्र भट्ट
 ग्राम-रामड़ी आन सिंह
 पो०ओ०-फतेहपुर
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I am writing to formally lodge a complaint regarding the electricity bill generated from the newly installed smart meter at my residence. My address is village - Ramari Aansingh, Po - Fatehpur, Haldwani. After the installation of the smart meter, my bill amount has increased significantly compared to previous months, which seems incorrect and requires immediate verification.

Details:

- Consumer Name: Umesh Chandra Bhatt
- Consumer ID: 40114395449
- Location: Fatehpur, Haldwani
- Issue: Excessive billing after smart meter installation

I kindly request your office to investigate this matter, verify the meter readings, and rectify the bill at the earliest. Please provide me with a complaint reference number and keep me informed about the progress of this case. Thank you for your prompt attention."

- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के पुराने मीटर की रीडिंग 9380KWH तक की गयी थी व उतारते समय पुराने मीटर की रीडिंग 9639KWH पाई गयी, जिस कारण मीटर की 259KWH रीडिंग शेष बच गयी थी वर्तमान में उपभोक्ता के (स्मार्ट मीटर की रीडिंग 350KWH पुराने मीटर की शेष रीडिंग 259KWH) =609KWH रीडिंग का 43 दिन का बिल सही बना है।







3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 08.07.2026 में कहा गया है कि मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे पहले से ही इस बात की जानकारी है कि यह बिल मेरे पुराने मीटर की बची हुई रीडिंग और नए इंस्टॉल किए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग को मिलाकर कुल 43 दिनों के लिए बनाया गया है। मेरी वास्तविक शिकायत यह है कि यदि आप पिछले एक साल या उससे अधिक का मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, तो मेरा मासिक बिजली बिल हमेशा ₹1800 से अधिकतम ₹2000 के बीच ही आया है। यही मेरा निरंतर औसत रहा है। इस हिसाब से अगर दो महीने का भी बिल जोड़ा जाए, तो वह किसी भी स्थिति में ₹4000 तक नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन नया स्मार्ट मीटर लगने के बाद, मात्र 43 दिनों का बिल ₹4481 आया है, जो कि पूरी तरह से अनुचित और अमान्य है। मैं इस बिल को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

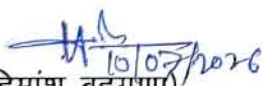
मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे परिसर में एक चेक मीटर (Check Meter) लगवाया जाए ताकि नए स्मार्ट मीटर की सटीकता की जांच हो सके और इस समस्या का समाधान किया जा सके। मेरे कई अन्य परिचितों के साथ भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद भारी-भरकम बिल आने की ऐसी ही समस्या आ रही है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस शिकायत का अति शीघ्र निवारण करने की कृपा करें।

4. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। सुनवाई के समय परिवादी ने अपना मीटर तेज चलने की आशंका व्यक्त की है तथा चैक मापक का अनुरोध किया है। संबंधित उपखण्ड अधिकारी ने कहा कि चैक मापक हेतु वह रजिस्ट्रेशन कर देंगे तथा निर्धारित शुल्क जमा होने पर चैक मापक स्थापित कर दिया जायेगा। चैक मापक में कोई विचलन पाया जाता है तो नियमानुसार समायोजन भी दे दिया जायेगा।

आदेश

विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क जमा करने पर नियमानुसार ससमय कार्यवाही पूर्ण करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-10/07/2026

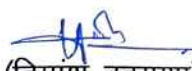

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-10/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर0एस0 गुज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202606150001

पंजीकरण तिथि-15.06.2026

निर्णय तिथि-10.07.2026

मनोज कुमार
 कुशवाहा सदन
 बुद्ध विहार, फेज-2
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी बिन्दुवार शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि मैं उपभोक्ता संख्या 391E111097231 एवं खाता संख्या 40114934171 का विद्युत उपभोक्ता हूँ। मेरे परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र के लिए दिनांक 06.04.2026 को पुराना स्मार्ट मीटर हटाकर नया नेट मीटर स्थापित किया गया था तथा इस संबंध में विभाग द्वारा विधिवत सीलिंग प्रमाण-पत्र (Sealing Certificate) भी जारी किया गया था। इसके बावजूद आज तक पुराना स्मार्ट मीटर संख्या 12072076 मौके से नहीं हटाया गया है तथा विभाग द्वारा लगातार उसी मीटर के आधार पर बिलिंग की जा रही है। परिणामस्वरूप मुझे गलत बिलिंग, अतिरिक्त शुल्क तथा मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी शिकायत निम्नानुसार है-

1. दिनांक 06.04.2026 को नेट मीटर स्थापित किए जाने एवं सीलिंग प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात उसी तिथि से बिलिंग नेट मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर की जानी चाहिए थी।
2. नेट मीटर लगाए जाने के बावजूद पुराना स्मार्ट मीटर संख्या 12072076 आज तक नहीं हटाया गया है और विभाग द्वारा उसी के आधार पर बिलिंग की जा रही है।
3. अप्रैल 2026 का बिल दिनांक 08.05.2026 को जारी किया गया, जिसमें 06.04.2026 से 21.04.2026 तक की अवधि के दौरान स्मार्ट मीटर में गंभीर त्रुटि (Malfunction) रही। इस अवधि में निर्यातित (Export) ऊर्जा को आयातित







- (Import) ऊर्जा में जोड़ दिया गया, जिससे आयातित यूनिट कृत्रिम रूप से बढ़ गई और मेरा बिल वास्तविक खपत से कहीं अधिक बन गया।
4. अप्रैल 2026 के बिल में ग्रिड को निर्यातित (Export) ऊर्जा भी गलत दर्शाई गई है, जिसके कारण मुझे नेट मीटरिंग का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
 5. जब दिनांक 06.04.2026 को नया नेट मीटर स्थापित एवं सक्रिय हो चुका था, तब उसके बाद की अवधि का बिल पुराने स्मार्ट मीटर के आधार पर बनाना तकनीकी रूप से गलत तथा विभागीय लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।
 6. उक्त गलत बिल के संबंध में मैंने UPCL के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, परंतु समस्या का समाधान नहीं किया गया।
 7. इसके पश्चात मैंने ई-मेल के माध्यम से शिकायत की, किन्तु वहां से भी कोई समाधान प्रदान नहीं किया गया।
 8. तत्पश्चात मैंने कमलुवागांजा कार्यालय में लिखित शिकायत जमा की तथा उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की, किन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
 9. समस्या के समाधान हेतु मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/CM Portal पर शिकायत संख्या CMHL-052026-11-1029276 भी दर्ज कराई, परंतु लगभग एक माह व्यतीत होने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया।
 10. दिनांक 06.06.2026 को मई 2026 का बिल जारी किया गया, जिसमें भी आयातित (Import) एवं निर्यातित (Export) ऊर्जा संबंधी वही त्रुटियाँ पुनः दोहराई गईं।
 11. मेरी शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 06.06.2026 को नेट मीटर संख्या SS18354055 की मीटर मैपिंग की गई तथा उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।
 12. मीटर मैपिंग रिपोर्ट के अनुसार मीटर संख्या SS18354055 एक Net Meter के रूप में कार्यरत है तथा उसमें आयातित एवं निर्यातित ऊर्जा का पृथक-पृथक रिकॉर्ड उपलब्ध है।
 13. Meter मैपिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06.06.2026 तक नेट मीटर में लगभग 440.46 kWh Import Energy तथा लगभग 857.24 kWh Export Energy दर्ज थी, जिससे स्पष्ट है कि मैं ग्रिड को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निर्यात कर रहा था।
 14. मीटर मैपिंग रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि उक्त नेट मीटर दिनांक 06.04.2026 से विभागीय Billing History में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विभाग के अभिलेखों में नया नेट मीटर स्थापित एवं सक्रिय था।
 15. जब विभागीय अभिलेखों में नया नेट मीटर सक्रिय था तथा उसकी मीटर मैपिंग एवं बिलिंग इतिहास उपलब्ध था, तब अप्रैल 2026 एवं मई 2026 के बिल पुराने स्मार्ट मीटर संख्या 12072076 के आधार पर जारी किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है।
 16. मई 2026 के बिल में पहली बार मेरा स्वीकृत भार (Contracted/Sanctioned Load) 1 kW से बढ़ाकर 3.00 kW दर्शाया गया है।
 17. मैंने कभी भी स्वीकृत भार 1 kW से 3 kW करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, न कोई शुल्क जमा किया और न ही विभाग द्वारा मुझे इस संबंध में कोई सूचना, सहमति-पत्र अथवा अनुमोदन आदेश प्रदान किया गया।
 18. मई 2026 के बिल में 3 kW स्वीकृत भार के आधार पर ₹ 255.00 का फिक्स/डिमांड चार्ज लगाया गया है, जिससे मेरे ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला गया है।

19. मई 2026 के बिल में अधिकतम मांग (Maximum Demand) मात्र 1.22 kW दर्शाई गई है, फिर भी मेरा स्वीकृत भार 3 kW प्रदर्शित कर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है।
20. यह प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा मेरे सोलर संयंत्र की क्षमता 3 kW होने के आधार पर स्वतः स्वीकृत भार भी 3 kW कर दिया गया, जबकि सोलर संयंत्र की क्षमता और उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार दो अलग-अलग विषय हैं तथा किसी भी भार वृद्धि के लिए उपभोक्ता का आवेदन, स्वीकृति एवं विधिवत प्रक्रिया आवश्यक होती है।
21. अतः विभाग यह स्पष्ट करे कि स्वीकृत भार को 1 kW से 3 kW कब, किस आदेश के तहत, किस अधिकारी द्वारा तथा किस आवेदन के आधार पर बढ़ाया गया तथा उससे संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
22. मेरी लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग द्वारा कोई प्रभावी समाधान नहीं किया गया है, जिससे मुझे आर्थिक, मानसिक एवं प्रशासनिक रूप से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि—

(क) पुराने स्मार्ट मीटर संख्या 12072076 को तत्काल हटाया जाए।

(ख) दिनांक 06.04.2026 से अब तक जारी सभी बिलों की जांच कर उन्हें संशोधित/निरस्त किया जाए।

(ग) नेट मीटर संख्या SS18354055 की वास्तविक रीडिंग के आधार पर अप्रैल 2026 एवं मई 2026 के बिल पुनः जारी किए जाएं।

(घ) गलत आयात (Import) एवं निर्यात (Export) यूनिटों को सुधारकर वास्तविक नेट मीटरिंग लाभ प्रदान किया जाए।

(ङ) स्वीकृत भार को 1 kW से 3 kW करने से संबंधित आवेदन-पत्र, अनुमोदन आदेश, प्रभावी तिथि एवं समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं।

(च) यदि भार वृद्धि बिना वैध आवेदन एवं स्वीकृति के की गई है तो स्वीकृत भार को तत्काल पुनः 1 kW किया जाए तथा अतिरिक्त वसूले गए सभी शुल्क वापस/समायोजित किए जाएं।

(छ) मेरी सभी शिकायतों पर अब तक की गई कार्रवाई की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

(ज) इस शिकायत का निस्तारण 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर करते हुए मुझे लिखित रूप से अवगत कराया जाए। अन्यथा मुझे उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF), विद्युत लोकपाल, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC), मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विधिक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा, प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 06.07.2026 में कहा गया है कि—





- बिंदु संख्या 1 के सम्बन्ध में— बिल संशोधन कर दिया गया है।
 बिंदु संख्या 2 के सम्बन्ध में— बिल संशोधन कर दिया गया है।
 बिंदु संख्या 3 के सम्बन्ध में— बिल संशोधन कर सोलर मापक के अनुसार बिल का समायोजन कर दिया गया है
 बिंदु संख्या 4 के सम्बन्ध में— बिल संशोधित कर वास्तविक लाभ दे दिया गया है
 बिंदु संख्या 5 से 15 के संबंध में— बिल संशोधित कर दिया गया है
 बिंदु संख्या 16 से 22 के संबंध में— स्वीकृत भार में वृद्धि एडमिन द्वारा की गयी है, जो की संशोधित कर दिया गया है।

3. परिवारी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 07.07.2026 में कहा गया है कि विभाग द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 15 तक के संबंध में केवल यह कह दिया गया है कि "बिल संशोधन कर दिया गया है", किन्तु इस समस्या की जड़ (root cause) आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, अर्थात:-

1. पुराना स्मार्ट मीटर संख्या-12072076 आज दिनांक तक मेरे परिसर से भौतिक रूप से हटाया नहीं गया है और अभी भी मौके पर लगा हुआ है, जबकि नेट मीटर दिनांक 06.04.2026 को ही स्थापित एवं सक्रिय किया जा चुका है।
2. जब तक यह पुराना स्मार्ट मीटर मौके से नहीं हटाया जाता, तब तक भविष्य में भी बिलिंग प्रणाली द्वारा गलती से इसी पुराने मीटर के आधार पर बिल जारी किए जाने का खतरा बना रहेगा जैसा कि अप्रैल एवं मई 2026 दोनों माह में बार-बार हुआ। मात्र वर्तमान बिलों का "संशोधन" कर देना इस आवर्ती (recurring) समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
3. मेरा बिल नेट मीटर/सोलर मीटर (संख्या SS18354055) की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बनना चाहिए, न कि हटाए जाने योग्य पुराने स्मार्ट मीटर के आधार पर। जब तक विभागीय सिस्टम में पुराने मीटर को पूर्णतः निष्क्रिय/डी-लिंक कर नए नेट मीटर को स्थायी रूप से बिलिंग हेतु प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तब तक यह त्रुटि बार-बार दोहराई जाती रहेगी।
4. इसके अतिरिक्त, दिनांक 06.04.2026 का सीलिंग प्रमाण-पत्र (Sealing Certificate) एवं नए नेट मीटर की संख्या (SS18354055) आज तक मेरे उपभोक्ता खाते (Consumer Account संख्या 40114934171) में विभागीय अभिलेखों में अद्यतन (update) नहीं किया गया है। जब तक यह जानकारी खाते में औपचारिक रूप से दर्ज एवं अद्यतन नहीं होती, तब तक बिलिंग प्रणाली द्वारा सही मीटर से बिल बनना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

अतः मंच से सविनय प्रार्थना है कि विपक्षी/विभाग को निम्नलिखित हेतु निर्देशित किया जाए—

1. पुराना स्मार्ट मीटर संख्या 12072076 तत्काल प्रभाव से मौके से भौतिक रूप से हटाया जाए तथा हटाए जाने का प्रमाण (फोटोग्राफ/मीटर रिमूवल रिपोर्ट) उपलब्ध कराया जाए।
2. नए नेट मीटर संख्या SS18354055 का सीलिंग प्रमाण-पत्र एवं मीटर संख्या मेरे उपभोक्ता खाता संख्या 40114934171 में विभागीय अभिलेखों में तत्काल अद्यतन





(update) किया जाए, ताकि भविष्य में बिलिंग सदैव नेट मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही हो।

3. संशोधित अप्रैल एवं मई 2026 के बिलों की प्रति तथा समायोजन की विस्तृत गणना (calculation sheet) मुझे उपलब्ध कराई जाए, ताकि संशोधन की शुद्धता का सत्यापन किया जा सके।
4. भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि बिलिंग प्रणाली में पुराने मीटर को पूर्णतः निष्क्रिय दर्शाया जाए, जिससे उसी प्रकार की त्रुटि पुनः न हो।

उपरोक्त निवेदन है, कृपया न्यायोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2026 की तिथि नियत की गयी। उभय पक्ष सुनवाई में उपस्थित रहे विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया है कि परिवादी का बिल संशोधित किया जा चुका है तथा फिक्स्ड चार्ज का भी समायोजन दिया जा चुका है। नेट मीटर स्थापना के बाद (प्रमाण स्वरूप Consumer Lager लेजर की प्रति पूर्व में ही उत्तर पत्र दिनांकित 06.07.2026 के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है) परिवादी की स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग इसलिए पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि PPA के अनुसार ही दोनों मीटर स्थापित हैं।
5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर लेजर के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी का बीजक संशोधित कर दिया गया है। अतः इस वाद को आगे चल जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-10/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-10/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202606160002
पंजीकरण तिथि-17.06.2026
निर्णय तिथि-09.07.2026

त्रिलोक सिंह
कपूर फार्म,
नियर मोतीनगर इंटर कालेज
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Dear Sir, As I had applied for new domestic electricity at my house on dated 23rd of April 2026, upon the completion of 76 days no action has taken so far, so please look in to this matter as serious and provide new house connection."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 27.06.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री त्रिलोक सिंह पता कपूर फार्म नियर मोतीनगर इंटर कॉलेज, हल्द्वानी, 262402 द्वारा नये संयोजन हेतु ऑन लाईन रिफरेंस नं०7112304260168 द्वारा आवेदन किया गया था। किन्तु इनके द्वारा उसमें मिक्स लोड आवेदन की श्रेणी में किया गया था। इनसे दूरभाष में सम्पर्क किया गया था इनके द्वारा बताया गया था कि आप इसे कैंसिल कर दे हम इसे दुबारा सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 08.07.2026 में कहा गया है कि महोदय जैसे कि आपके द्वारा दिया गया सुझाव के अनुसार मैंने पुनः नया आवेदन ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसका रिफरेंस नं०-112304260151 है, जिसकी छाया प्रति आपने आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः महोदय से सविनय निवेदन है, कृपया संचलन घरेलू बिजली नया आवेदन की क्रम में मुझे नया कनेक्शन प्रदान कीजिएगा।

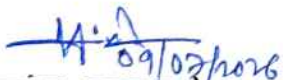


4. विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 08.07.2026 को मंच में एक आख्या प्रस्तुत कर कहा कि श्री त्रिलोक सिंह पता कपूर फार्म नियर मोतिनगर इण्टर कॉलेज, हल्द्वानी, 262402 द्वारा नये संयोजन हेतु ऑन लाईन रिफरेन्स नं०-112304260168 द्वारा आवेदन किया गया था। किन्तु इनके द्वारा उसमें मिक्स लोड आवेदन की श्रेणी में किया गया था। जोकि गलत था। इनसे वार्ता करी गयी इन्होंने बताया कि इन्होंने दोबारा ऑन लाइन आवेदन किया है किन्तु इनके द्वारा उसमें आधार कार्ड अपलोड न होने के कारण सिस्टम डिटेल रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है। इनसे फिर दूरभाष में सम्पर्क किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि आप इसे कैनसिल कर दे, इनके पूर्व के दोनों ऑन लाइन रिफरेन्स नं० 112304260168, तथा 112304260151 को निरस्त कर दिया गया और इनके द्वारा हार्ड कॉपी पूर्ण फार्म के साथ ऑफिस में भिजवाने के बाद आज दिनांक 08.07.2026 को इनका नया रजिस्ट्रेशन नं० 468080726015 रजिस्ट्रड कर दिया गया है। और इनको दूरभाष से सूचित कर दिया गया है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने विद्युत संयोजन हेतु दो बार ऑनलाइन आवेदन किया जिसमें पहली बार गलत श्रेणी में आवेदन किया गया तथा दूसरी बार अपेक्षित प्रपत्र पूर्ण नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त हुआ है। अब ऑफलाइन आवेदन करने पर विपक्षी ने नये संयोजन का पंजीकरण कर दिया है। मंच के मत में परिवादी द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही ऑनलाइन पोर्टल पर सीधे मंच के वाद दर्ज कराया गया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-09/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

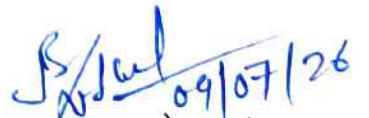

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-09/06/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर०एस० गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202606240001

पंजीकरण तिथि-25.06.2026

निर्णय तिथि-08.07.2026

परिवादी

संजय कुमार
 उदय भवानी विहार, फेज-2
 बड़ी मुखानी, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "My domestic load is contracted for 4 kW, but energy consumption is very low. I would like to reduce the approved load from 4 kW to 2 kW. So kindly reduce my 4 kW load to 2 kW.."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 20.09.2022 को 4KW के नये संयोजन के लिया आवेदन किया था, दिनांक 27.09.2026 को उपभोक्ता द्वारा रु०3440.00 जमा करने के पश्चात दिनांक 27.09.2026 को नया संयोजन निर्गत कर दिया गया था। उपभोक्ता को विद्युत भार घटाने के लिये भार घटाने का आवेदन पत्र के साथ एक फोटो, आधार कार्ड एवं वर्तमान खतौनी की प्रति जमा करने के पश्चात ही विद्युत भार घटने की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 08.07.2026 में कहा गया है कि "I am satisfied with the action taken by UPCL regarding this matter."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।







आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 08/07/2026

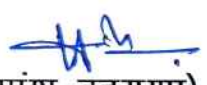

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 08/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202606290001

पंजीकरण तिथि-30.06.2026

निर्णय तिथि-21.07.2026

मै० मीनाक्षी इण्टरप्राइजेज
 हल्द्वचौड़ जग्गी, डी क्लास
 लालकुआं
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

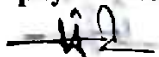
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Complaint Regarding Incorrect Excess Load and Fixed Demand Charges in Electricity Bill."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र मय कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 06.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिल में जुड़कर आ रहे अधिकतम डिमांड चार्ज को बिल में समा-योजित कर दिया गया है। उक्त बिल को संशोधित कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 09.07.2026 में कहा गया है कि " Dear Sir I have checked the documents attached herewith. Attached letter reference no 9771 dated 06 July 2026 says excess demand in Mar 2026 is 23.59 and Apr 2026 is 22.12. Power consumption used while running all motors in my factory is not more than 15 KV. Moreover, the modus operandi of our production is one time one production. Please look into this. No one is coming to take reading at my locations, since I have taken a connection."
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 18.07.2026 में कहा गया है कि "I respectfully submit that I am the proprietor of M/s Meenakshi Enterprises and a consumer of Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL). I had lodged a complaint regarding the incorrect electricity consumption reflected in my electricity bills for March 2026 and April 2026. Upon examining my complaint, the department has revised the electricity consumption (meter reading) in the said bills. I hereby accept the revision made by the department and am willing to pay the amount payable as per the revised electricity bills."







In view of the above, I respectfully request the Hon'ble Forum to kindly accept the revised electricity bills issued by the department and treat the matter as resolved. Please advise the UPCL billing department to send me a revised bill for depositing the bill.

5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर परिवादी को संशोधित बीजक की प्रति हस्तगत कराये। वाद तदनुसार निस्तारित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-20/07/2026

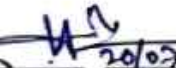

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-20/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202606300001

पंजीकरण तिथि:-30.06.2026

निर्णय की तिथि:-23.07.2026

पवन कुमार जोशी,
पीलीकोठी श्यामा गाडन वेस्ट,
हल्द्वानी जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

विपक्षी

निर्णय

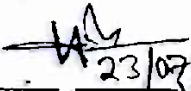
1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-“ I am using solar plant from jan 2025 and earlier I was getting 4.75 per unit now it has been changed to 4.1 per unit can you tell the reason and in newspaper i have seen that we will get 4.25 so can you tell what amount we get for years.”
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 18.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता विद्युत संयोजन संख्या 392ks01123133 तथा विद्युत भार 2.00 kw है। उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक दिनांक 29.08.2025 को स्थापित किया गया है। मा० उ० वि० नि० आयोग के आदेशानुसार दिनांक 20.08.2025 के आदेशानुसार सोलर दर 4.10 RS निर्धारित की गयी थी। एवं मा० उ० वि० नि० आयोग के ही पत्र संख्या - UERC/6 / TF-25/2025-26/2025/1038 Dated 29.09.2025 संशोधित आदेशानुसार दिनांक 20.08.2025 के पश्चात स्थापित सोलर दर रु० 2.00 निर्धारित की गयी है।
3. मंच में उभय पक्षों की सुनवाई हेतु 23.07.2026 की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा कहा गया कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार ही उचित दर पर परिवादी के बीजक बनाये गए हैं। माननीय आयोग के आदेशों की प्रति पूर्व में ही माननीय मंच में विभाग के उत्तर पत्र के साथ प्रस्तुत की जा चुकी है।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही परिवादी को बिल भेजे गए हैं। अतः इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

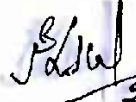
आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

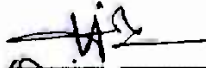
दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-042026063000002

पंजीकरण तिथि:-01.07.2026

निर्णय की तिथि:-08.07.2026

नीलम कांडपाल,
ऊंचापुल हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-“हमारे द्वारा दिनांक 2 जून 2026 को मीटर खराबी के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी परंतु आज दिनांक 30 जून तक कोई भी कारवाही नहीं की गई है, कृपया इसका समाधान करने अन्यथा, शिकायत को मुख्य मंत्री पोर्टल में डालना पड़ेगा।”
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती नीलम कांडपाल द्वारा मीटर खराब होने की शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना है कि उपभोक्ता का मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 04.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि-
“महोदय कंप्लेंट के बाद हमारा मीटर बदला दिया गया है, उक्त कार्य संतोष जनक किया गया है।”







4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की विद्युत मीटरिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-08.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-08.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

फोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607020001

पंजीकरण तिथि-03.07.2026

निर्णय तिथि-20.07.2026

अकांक्षा अग्रवाल
 कोहली कालौनी
 छोटी मुखानी, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवारी

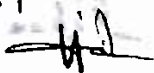
बनाम

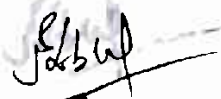
अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करे हुये कहा गया है कि "The current meter has been showing irregular is damaged, resulting in inconvenience and concern regarding accurate electricity billing. I kindly request your office to arrange an inspection of the."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 15.07.2026 में कहा गया है कि मंच के समक्ष ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत (Case No: 04202607020001) जो कि मीटर के सम्बन्ध में थी, के अनुपालन में मंच के समक्ष अवगत कराना हैं कि उपभोक्ता का मीटर बदल दिया गया हैं।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 17.07.2026 में कहा गया है कि "I am writing to confirm that my electricity meter has now been successfully issued and installed. I am satisfied with the resolution of my request and appreciate the prompt action taken by your team in addressing the matter. Thank you for your support and timely assistance. I sincerely appreciate your efforts in resolving the issue.."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

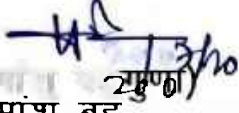




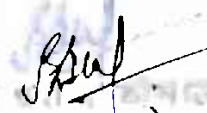
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की तक्रार का समाधान कर दिये जाने के पत्रावली की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 20/07/2026

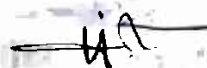

(हिमांशु बहुगुणा) 26
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

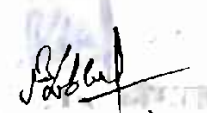

(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 20/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607040001

पंजीकरण तिथि:-04.07.2026

निर्णय की तिथि:-22.07.2026

आर०सी० खेतवाल,
खयाल निवास जू रोड़,
उप्पर डांडा, तल्लीताल,
जिला-नैनीताल।

परिवादी

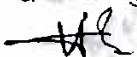
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

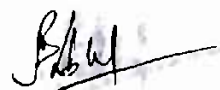
—पक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-“error in bill, billed an enregious ammount.”
2. पक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि श्री आर० सी० खेतवाल, नैनीताल (संख्या 591E233020628) के द्वारा विद्युत बिल से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। उक्त कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:-
 - (1) उपभोक्ता का परिसर अक्सर बंद पाया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल दि० 14.11.2024 से शून्य रीडिंग के बन रहे थे।
 - (2) दि० 19.06.2026 को उपभोक्ता के परिसर के गेट को लांघ कर प्राप्त रीडिंग 571 के आधार पर विद्युत बिल रु० 4317.00 का बनाया गया है।
 - (3) उपभोक्ता के विद्युत बिल को दि० 27.12.2024 से 18.07.2026 तक का रु० 1471.00 का संशोधन कर दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल रु० 2846.00 का बना है।
 - (4) उक्त कम में किये गये संशोधन से उपभोक्ता को भी अवगत करा दिया गया है जिस पर उपभोक्ता द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त की गयी है।







- (5) उपभोक्ता को यह भी बताया गया है कि यदि उनके परिसर पर स्मार्ट मीटर लगाया जाये तो भविष्य में परिसर बंद होने पर भी सही रीडिंग के विद्युत बिल प्राप्त हो सकें।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 22.07.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि—
“ Sir, This is to inform u that my complaint regarding electricity bill at my residence at Nainital has been resolved satisfactorily. Thanks. Sanjay khetwal. ”
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

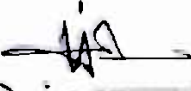
दिनांक:—22.07.2026


 (हिमांशु बहुगुणा)
 सदस्य (उपभोक्ता)


 (आरुण कुमार गुंज्याल)
 सदस्य (तकनीकी)


 (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
 सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
 दिनांक:—22.07.2026


 (हिमांशु बहुगुणा)
 सदस्य (उपभोक्ता)


 (आरुण कुमार गुंज्याल)
 सदस्य (तकनीकी)


 (बिष्णु प्रसाद डोभाल)
 सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607070001

पंजीकरण तिथि-08.07.2026

निर्णय तिथि-22.07.2026

पुरुषोत्तम जोशी,
 ग्राम व पोस्ट-हरीशताल
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

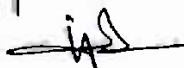
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत कसे हुये कहा गया है कि "Since Dec 2025, no electricity bills have been generated for our connection (SC No 591BH17094885/AC No. 40114803997, Consumer: Purushottam Joshi). The meter is faulty. Kindly generate pending bills, explain the delay, and replace the meter."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 15.07.2026 में कहा गया है कि-
 - बिलिंग कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर पारिवारिक सदस्यों का निरन्तर निवास न होने के कारण आवास निरन्तर बन्द ही रहता है। जिस कारण विद्युत बिल जारी नहीं किया जा सका।
 - आवास निरन्तर बन्द रहने के कारण मापक की रिडिंग की सही स्थिति प्राप्त नहीं हो सकी।
 - उपभोक्ता की शिकायत के उपरान्त मापक की जांच में मापक खराब पाया गया। जिसके उपरान्त उपभोक्ता को आई०डी०एफ० में विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।
 - उपभोक्ता का नया विद्युत बिल रू० 85.00 मात्र का बनाया गया है।
 - उपभोक्ता के खराब मापक को बदलने की सूचना उपखण्ड कार्यालय द्वारा ऑन लाइन अग्रसारित कर दी गयी है। ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण संख्या 2140260612 है।







3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है उपभोक्ता को नया विद्युत बिल जो रु0 85.00 मात्र का बनाया गया था निर्गत कर दिया गया है। उपभोक्ता के खराब मापक को भी दिनांक 20.07.2026 को बदल दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप सीलिंग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि "Regarding Complaint No. 04202607070001 (UPCL), The issue regarding meter change and bill generation has been resolved. The meter has been installed today. Kindly close my complaint."
5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र/सीलिंग प्रमाण पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

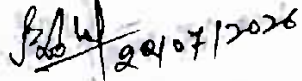
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 22/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्जाल)
सदस्य (तकनीकी)

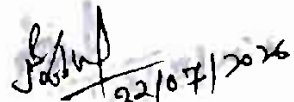

(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 22/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्जाल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607090002

पंजीकरण तिथि-13.07.2026

निर्णय तिथि-21.07.2026

विजयेन्द्र सिंह
 49, कुरियागांव
 लामाचौड़, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवारी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 कमलवागांजा, हल्द्वानी।

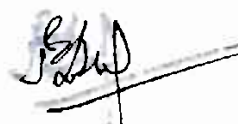
विपक्षी

निर्णय

- परिवारी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि 'Could you please guide me through the procedure of closing/ disconnection of the account permanently? I need to close the account no: 42600528585 which is on my name (Vijayendra Singh) permanently.'
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 17.07.2026 में कहा गया है कि माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमाऊँ क्षेत्र के समक्ष ऑनलाइन पोर्टल (Case No-04202607090002) के माध्यम से प्राप्त शिकायत के अनुपालन में मंच के समक्ष शिकायतकर्ता श्री बिजेन्द्र सिंह, कुरिया गाँव, लामाचौड़, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल के द्वारा की गयी विद्युत संयोजन विच्छेदन की शिकायत के सापेक्ष अवगत कराना है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है एवं उपभोक्ता द्वारा पत्र के माध्यम से अपनी संतुष्टि भी प्रदान कर दी गयी है।
- परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 17.07.2026 में कहा गया है कि 'Hello I am Vijayendra Singh. The complaint the raised has been resolved and I am happy with the response.'
- मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवारी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवारी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।



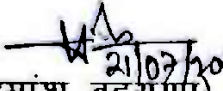




आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:- 21/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 21/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:04202607100001

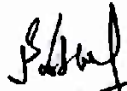
Shri/Smt. K.S. Negi,

V/S

Executive Engineer..Ramnagr

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
-----------	------	-------	-----------

	22/07/2026	<u>आदेश</u> विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी, के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा दिनांक:- 09.07.2026 को वाद संख्या- 04202607090001 ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। तथा परिवादी द्वारा उक्त तिथि को ही वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पर दुबारा पंजीकृत की गयी, जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना CGRF पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। पुनः दिनांक 10.07.2026 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल वाद संख्या- Case No-0420260710001 को भी वही शिकायत की पंजीकृत की गई है। चूंकि Case No -04202607090001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी शिकायत एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या- 04202607100001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।  22/07/2026 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)  (आरुण कुमार गुज्ज्याल) सदस्य (तकनीकी)  (बिष्णु प्रसाद डोमाल) सदस्य (न्यायिक)	Disposed of
--	------------	---	----------------

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)

3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607110003

पंजीकरण तिथि:-13.07.2026

निर्णय की तिथि:-23.07.2026

मै० इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

परिवादी

द्वारा उत्तम सिंह(सीनियर डिपो मैनेजर)

आई०ओ०सी०एल०,

लालकुआ डिपो, हल्द्वौड,

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिकासी अभियन्ता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-“ Monthly electricity bills are not being generated on time. Kindly ensure that bills for our connection are generated on the 1st day of every month. Timely billing is required to monitor monthly consumption and submit reports to the higher office.”
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की विद्युत संयोजन संख्या-390K000004975, स्वीकृत भार 325 KVA है। उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 09.05.2025 को स्मार्ट मापक लगाया गया, जिसके उपरोक्त AMR से स्वतः मुख्यालय द्वारा माह के पहले सप्ताह में बिलिंग होती है।

माहवार बिलिंग दिनांक भिन्न है:-

क्र०सं०	माह	बिल निर्गत तिथि
1	06/2026	17.07.2026

2	05/2026	11.06.2026
3	04/2026	08.05.2026
4	03/2026	07.04.2026
5	02/2026	03.03.2026
6	01/2026	07.02.2026

माह 05/2026 एवं 06/2026 में तकनीकी कारणों (Tariff Updation) से मुख्यालय द्वारा क्रमशः 11.06.2026 तथा 17.07.2026 को बिल निर्गत किया गया, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय को सूचित किया जा चुका है।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 21.07.2026 को प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया जिसमें कहा गया कि **“As stated in the reply, the delay in generation of the electricity bill for the month of June 2026 was due to a technical issue related to tariff updation. The reason for the delay is acknowledged. However, it is requested that electricity invoices/bills be generated by the 1st or 2nd day of the succeeding month to facilitate timely monitoring of energy consumption and submission of the requisite reports/data to higher offices within the stipulated timelines. Such timely bill generation will also help avoid operational and compliance-related difficulties in future.”**
4. मंच में उभय पक्षों की सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2026 की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा परिवादी का जुलाई माह का बीजक प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि बिल प्रत्येक माह की आखिरी तिथि से उससे अगले माह की आखिरी तिथि तक के बनाये जा रहे हैं, जिसे प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाता है। परिवादी को जून एवं जुलाई माह में देरी से बिल दिया गया परंतु उन्हें बिल जमा करने के लिए नियमानुसार 15 दिन का समय प्रदान किया गया। परिवादी की प्रत्येक माह की 01 या 02 तारीख को बिल देने की मांग फिलहाल तकनीकी कारणों से पूरी नहीं की जा सकती, परंतु बिल जमा करने के लिए निर्धारित 15 दोनों का समय प्रदान किया जा रहा है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बीजक से स्पष्ट है कि परिवादी को प्रत्येक माह की खपत का बीजक जारी किया जा रहा है तथा बिल भुगतान हेतु निर्धारित 15 दिन का समय भी प्रदान किया जा रहा है। परिवादी की प्रत्येक माह की पहली या दूसरी तारीख पर बिल जारी करने की मांग के संबंध में यह मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत







औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्येदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:-23.07.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607140001
पंजीकरण तिथि-15.07.2026
निर्णय तिथि-21.07.2026

गोपाल सिंह कार्की
 कार्की निवास, कोरंगा लेन
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवदी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 तिकोनिया, हल्द्वानी।

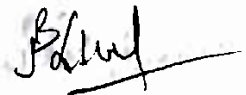
विपक्षी

निर्णय

- परिवदी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " Please update following in your records:
 1- PLs update my full name as GOPAL SINGH KARKI.
 2- Pls update my permanent address as - Gopal Singh Karki,
 2-932/2,Chandrottam, Karki Niwas, Sheeshmahal, Kathgodam."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के नाम की स्पेलिंग सुधार एवं उपभोक्ता का पता शिकायती पत्र एवं संलग्न दस्तावेज, आधार कार्ड के अनुसार परिवर्तित किया गया है। उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री की प्रति संलग्न है।
- परिवदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि "As per billing history record, My requests related to Name correction and Addressed change are fulfilled. My issue is settled now. No further action is required on this issue."
- मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवदी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवदी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।



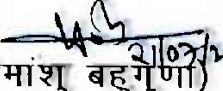




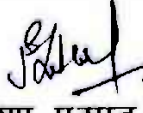
आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 21/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

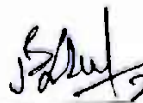

(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 21/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-आर०एस० गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202607140002

पंजीकरण तिथि-15.07.2026

निर्णय तिथि- 24.07.2026

मुशीफ हसन जैदी
 नियर हिमालय स्कूल
 गौजाजाली उत्तर
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 तिकोनिया, हल्द्वानी।

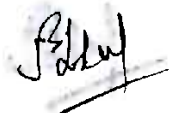
विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRE, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Double face issue- Neutral is also providing face supply due to which all lights are still on even after closing from button utton and and this issue is in all homes in my location pls check and resolve."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी को उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत लाईन सम्बन्धी शिकायत के निवारण हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर वर्तमान में सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लाईन में आ रही फाल्ट को सही कर उपभोक्ता की शिकायत का निवारण कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि "Mahodey main Gaujajali nikat Himalya school se bol Raha hu maine bijli line k fault ki complaint ki thi Jo bijli keramchariyo ne theek ker di h suchna preshit Mushif Hasan zaidi."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को







आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 21/07/2026

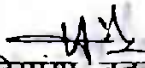

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 21/07/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(आरुण कुमार गुज्याल)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)